फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

मुकदमा ..... बनाम राज्य सरकार .....

किस्म मुकदमा– 128 L.R.A. मु.न. 5/2020/202

तारीख हुक्म	
29/7/20	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। मिसिल पत्रावली अवलोकित की। अपीलार्थी अधिवक्ता जिसके तर्क प्रार्थीगण द्वारा प्रारंभिक पेश नहीं किया गया है। मिसिल पत्रावली किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रारंभिक 128 LRA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय दौसा